न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 368 सन 2018

अनवान :–

1. रैताश कुमार पुत्र चुन्नीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. चुन्नीराम पुत्र लिच्छीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
2. श्यामलाल 3 रोशनलाल पि0 चुन्नीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर।
4. पारा 5. सरोज 6. सन्तोष पुत्रीया चुन्नीराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 24.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 583/517 के खसरा न0 868/4 की 3.5410हैक जिसके लिच्छीराम पुत्र किशनाराम खातेदार काश्तकार है व रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 238/242 के खसरा न0 290 की 5.6150 है खसरा न0 595 की 10.8250हैक खसरा न0 614/595 की 6. 2350हैक खसरा न0 646/598 की 2.1620हैक कुल 24.8370हैक भूमि स्थित है जिसके लिच्छीराम पुत्र किशनाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी देवासर खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 64 के खसरा न0 596/2 की 2.6810हैक भूमि चुन्नीराम वल्द लिच्छीराम खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि लिच्छीराम पुत्र चुन्नीराम के नाम से दर्ज थी जिनके फोत होने पर उनके पुत्रों के नाम से दर्ज हुई एवं बाहमी बटवारा करने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को रोही मोजा कानसर के खसरा न0 583/517 के खसरा न0 868/4 की 1.7710हैक, रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 238/242 के खसरा न0 595/5 की 1.761हैक खसरा न0 614/595/2 की 1.247हैक खसरा न0 646/598/1 की 1.150हैक कुल 4.158हैक एवं देवासर के खाता संख्या 64 के खसरा न0 596/2 की 2.6810हैक भूमि आई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Zaidi

के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी /प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की बहनें है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिलस किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 में पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों समर्थन में पूर्व में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग करने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा कानसर के खाता संख्या 583/517 की 1.7710हैक एवं रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 238/242 की कुल 4.158हैक भूमि यानि दोनो खातों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब के खातेदार काश्तकार है एव रोही मौजा देवासर के खाता संख्या 64 की 2.6810हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 अकेला खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy Not Official